

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-47/2017

1. मीरादेवी पत्नि दौलतराम | जाति जाट सा. रतनपुरा तहसील संगरिया हाल आबाद हनुमानगढ़
2. अनिता पुत्री दौलतराम |
3. एकता | पुत्रीया दौलतराम ना.ज.कु.बली माता मीरादेवी पत्नि दौलतराम जाति जाट साकिन
4. दिव्या | रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. लीलाधर | पि.श्योभगवान |
2. कुलदीप | जाति जाट नि.रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. कौशल्या देवी पत्नि श्योभगवान |
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

चक 4 आरटीपी के खाता संख्या 101/94 में

- वादी संख्या 1 मीरादेवी पत्नि दौलतराम के कब्जा काश्त की भूमि पं.नं. 184/187 मु.नं. 21 किला नं. 14/0.152 है. 15,16/0.215 है. प्रे. 106/16 (0/1)/0.076 है. गै.मु. रास्ता पं.नं. 185/1487 मु.नं. 20 किला नं. 11,20/0.253 है. प्रे. कुल 1.164 है. नहरी 1.088 है. गै.मु. रास्ता 0.076 है.
- वादी संख्या 2 अनिता पुत्री दौलतराम के कब्जा काश्त की भूमि पं.नं. 184/187 मु.नं. 21 किला नं. 13/0.253 है. 14/0.101 है. 17,18/0.253 है. प्रे.कुल 0.860 है.
- वादी संख्या 3 एकता पुत्री दौलतराम के कब्जा की भूमि प.नं. 184/186 मु.नं. 16 किला नं. 25/0.215 है. 106/16(0/1)/0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है. नहरी मय गै.मु.

चक 4 आरटीपी के खाता संख्या 137/104 में

- वादी संख्या 2 अनिता पुत्री दौलतराम के कब्जा काश्त की भूमि पं.नं. 184/187 मु.नं. 21 किला नं. 12/0.051 है. 19/0.253 है. प्रे.कुल 0.304 है.
- वादी संख्या 3 एकता पुत्री दौलतराम के कब्जा की भूमि पं.नं. 184/187 मु.नं. 21 किला नं. 12/0.038 है. 10,11,20/0.253 है. प्रे. पं.नं. 183/187 मु.नं. 22 किला नं. 6/0.114 है. 105/16/0.012 गै.मु. रास्ता कुल 0.923 है. नहरी 0.911 है. रास्ता 0.012 है.
- वादीया संख्या 4 दिव्या पुत्री दौलतराम के कब्जा काश्त की भूमि पं.नं. 184/187 मु.नं. 21 किला नं. 1,2/0.228 है.प्रे. 9/0.253 है. 12/0.164 है. पं.नं. 183/187 मु.नं. 22 किला नं.

5/0.202 है. 105/16/0.102 है. गै.मु. रास्ता कुल 1.177 है. नहरी 1.075 है. 0.102 है. गै.मु. रास्ता

- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 लीलाधर,कुलदीप पि. श्योभगवान कौशलया देवी पत्नि श्योभगवान के कब्जा काश्त की भूमि पं.नं. 183/187 मु.नं. 22 किला नं. 1,2,3,4/0.228 है. प्रे. 6/0.114 है. 7 ता 14/0.253 है.प्रे. 15,16/0.228 है. प्रे. 17 ता 20/0.253 है. प्रे. 105/16/0.380 है. गै. मु. रास्ता 105/17/0.152 है. गै.मु. रास्ता कुल 4.708 है. नहरी 4.518 है. गै.मु. रास्ता 0.190 है.

अतः उक्तानुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

